न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या–55/2017
महेश प्रसाद सिन्हा बनाम राम बाबू ठाकुर एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
26/10/2018	**आदेश** आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता एवं विद्वान् सहायक सरकारी अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर दरभंगा द्वारा दाखिल खारिज अपीलवाद संख्या–15/2016 (महेश प्रसाद सिन्हा बनाम अंचल अधिकारी, सिहवाड़ा एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 20.02.2017 के विरूद्ध दायर किया गया है। सामान्य अनुक्रम में वाद को प्रतिग्रहित करते हुए संबंधित पक्षकार को सूचना निर्गत करने एवं निम्न न्यायालय से अभिलेख प्राप्त करने का निदेश दिया गया है। तदालोक में निम्न् न्यायालय से अभिलेख प्राप्त है। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी सं0–01 रामबाबू ठाकुर को समुचित अवसर दिये जाने के बावजूद भी विपक्षी सं0–01 इस वाद में उपस्थित नहीं हुए है। अतः स्वतः वंचित। न्यायहित में वाद की सुनवाई एकपक्षीय की गयी है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रश्नगत् वाद में सन्निहित भूमि खेसरा सं0–115 (पु0)/378 (नया), तथा खेसरा सं0–148 (पु0)/386 (नया), रकबा–10 कट्ठा 07 धुर संयुक्त परिवार की सम्पत्ति है। संबंधित खेसरा की जमाबन्दी सं0–112/349 राज किशोर प्रसाद के नाम कायम है, उक्त राज किशोर प्रसाद के पाँच पुत्र वारिसान हैं। राज किशोर प्रसाद के पाँच पुत्र में से एक पुत्र रामानन्द प्रसाद है, जिनके पुत्र आवेदक है। आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता का विशेष रूप से कथन है कि उक्त राजकिशोर प्रसाद के वारिसानों के बीच अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है। अंचल अधिकारी, सिंहवाड़ा के द्वारा संस्थगित दाखिल खारिज वाद सं0–669/2016–17 में न तो संबंधित पक्षकार को सूचना दी गयी है, और न ही स्थल का भौतिक सत्यापन कराया गया है। बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 में निहित प्रावधान के विपरीत अंचल अधिकारी, सिंहवाड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.07.2016 से विपक्षी सं0–01 के नाम दाखिल खारिज किया गया है। उक्त पारित आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा एक दाखिल खारिज अपील वाद सं0–15/2016 भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर दरभंगा के न्यायालय में दायर किया गया। अभिलेख संधारित तथ्य के विपरीत भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर दरभंगा द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.07.2017 से अंचल अधिकारी, सिंहवाड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.07.2016 को सम्पुष्ट किया गया है। उक्त विधि विरूद्ध आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा वर्त्तमान पुनरीक्षण वाद दायर किया गया है। उपरोक्त तथ्य के आलोक में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर दरभंगा द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने की कृपा की जाय।	

विद्वान् सरकारी अधिवक्ता का कथन है कि अभिलेख पर संधारित तथ्य से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत् भूमि उक्त राज किशोर प्रसाद के वारिसानों द्वारा विपक्षी सं0–01 के नाम निबंधित केवाला सं0–9465 दिनांक 23.06.2016 से विक्रय किया गया है। अंचल अधिकारी, सिंहवाड़ा द्वारा संस्थगित दाखिल खारिज वाद सं0–669/2016–17 के अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि अंचल अधिकारी, सिंहवाड़ा द्वारा सूचना निर्गत की गयी जिसका तामिला प्रतिवेदन अभिलेख पर संधारित है तथा स्थल के भौतिक सत्यापन के बिन्दु पर संबंधित हल्का कर्मचारी का प्रतिवेदन भी अभिलेख पर संधारित है। उक्त सभी नियामकों से संतुष्ट होकर अंचल अधिकारी, सिंहवाड़ा द्वारा अपने आदेश दिनांक 21.07.2016 से विपक्षी सं0–01 के नाम दाखिल खारिज किये हैं, जिसे भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर दरभंगा द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.02.2017 से सम्पुष्टित किया गया है। अतः भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर दरभंगा द्वारा पारित आदेश यथोचित प्रतीत होता है। विद्वान् सहायक सरकारी अधिवक्ता का यह भी कथन है कि आवेदक द्वारा कथित कथन/दावा का निराकरण सक्षम न्यायालय में किया जाना न्यायोचित है। आवेदक चाहें तो सक्षम न्यायालय की शरण ले सकते हैं।

उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद में सन्निहित भूमि विपक्षी सं0–01 के द्वारा निबंधित केवाला दिनांक 23.06.2016 से क्रय की गयी है। निम्न न्यायालय के अभिलेख तथा आवेदक के स्वमेव कथन से यह तथ्य सम्पुष्टित है कि उक्त भूमि का विक्रय उक्त राज किशोर प्रसाद जिनके नाम जमाबन्दी सं0–112/349 कायम है, के वारिसानों द्वारा की गयी है। हल्का कर्मचारी के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत् भूमि पर विपक्षी सं0–01 का दखल कब्जा है। संबंधित भूमि पर आपत्ति प्राप्त करने हेतु सूचना भी निर्गत की गयी है, जिसका तामिला प्रतिवेदन अभिलेख पर संधारित है। अतः उपरोक्त साक्ष्य धारित तथ्य के परिदृश्य में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर दरभंगा द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.02.2017 में हस्तक्षेप करना यथोचित प्रतीत नहीं होता है। आवेदक यदि चाहे तो अपने दावा के समुचित निराकरण हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं। अतः दायर पुनरीक्षण वाद को अस्वीकृत किया जाता है।

उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा।